कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना पत्थलगांव जिला–जशपुर छ0ग0

क्रमांक /129 /स्था0/आई0सी0एस0/2024–25 पत्थलगांव, दिनांक 25/06/2024

प्रति,

1. मुख्य नगर पालिका अधिकारी
   नगर पंचायत पत्थलगांव
2. सरपंच
   ग्राम पंचायत ....
3. पर्यवेक्षक
   सेक्टर ....

विषय– रिक्त आं.बा. कार्यकर्ता/सहायिका/मिनी कार्यकर्ता के पदपूर्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में।

संदर्भ – 1. छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय डी.के.एस. भवन रायपुर का पत्र क्रमांक 728/1098 2008/मंबावि/50 रायपुर दिनांक 02.04.2008।

2. छ.ग. शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ0ग0) के पत्र क्रमांक/1226/1098/2008/मबावि/50 नवा रायपुर दिनांक 21.04.2023

––––00––––

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा इस परियोजना में रिक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों में आंगनबाडी कार्यकर्ता/सहायिका/मिनी कार्यकर्ता का पद पूर्ति किया जाना है।

अतः रिक्त आंगनबाड़ी केन्द्र/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका एवं मिनी कार्यकर्ता के पद हेतु संलग्न परिष्ठि 01 में दिये गये निर्देशानुसार परिष्ठि 03 निर्धारित आवेदन पत्र में इस कार्यालय को **दिनांक 25.06.2024 से 15.07.2024 तक पंजीकृत डाक अथवा स्पीट पोस्ट के माध्यम से** प्रस्तुत करेंगें । यह कि संबंधित ग्राम/वार्ड में कोटवार से मुनादी एवं हक्वा करवाए तथा परिष्ठि 01 एवं 03 को नगर पंचायत/ग्राम पंचायत के सुचना पटल पर चस्पां करावे एवं पूर्ण रूप से प्रचार–प्रसार करें।

परियोजना अधिकारी,
एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना
पत्थलगांव जिला – जशपुर (छ0ग0)

पृ0क0/129–ए/स्था0/आई0सी0एस0/2024–25 पत्थलगांव दिनांक 25/06/2024

प्रतिलिपि :–

1. जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जिला – जशपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पत्थलगांव जिला–जशपुर (छ0ग0) की ओर सादर सूचनार्थ।

परियोजना अधिकारी,
एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना
पत्थलगांव जिला – जशपुर (छ0ग0)

कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना पत्थलगांव, जिला – जशपुर (छ0ग0)

परिशिष्ट 01 (विज्ञापन)

आं.बा. कार्यकर्ता/सहायिका एवं मिनी कार्यकर्ता पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना

क्रमांक/129 /स्था./आई0सी0डी0एस0/ 2024–25 पत्थलगांव, दिनांक 25/06/2024

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना पत्थलगांव, जिला–जशपुर (छ.ग.) के अंतर्गत संचालित निम्नानुसार आंगनबाडी केन्द्रों में **कार्यकर्ता/सहायिका एवं मिनी कार्यकर्ता पद** रिक्त होने के कारण नियुक्ति प्रक्रिया की जानी है। नियुक्ति हेतु इच्छुक एवं पात्र महिला अभ्यार्थी आपना आवेदन दिनांक **25.06.2024** से **09.07.2024** तक **कार्यालय परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना पत्थलगांव जिला– जशपुर (छ0ग0) को** पंजीकृत डाक अथवा स्पीट पोस्ट के माध्यम से भेजा जा सकता है। सीधे तथा विलंब से प्राप्त होने वाले आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। रिक्त आंगनबाडी केन्द्रों में कार्यकर्ता/सहायिका एवं मिनी कार्यकर्ता रिक्त पद निम्मनानुसार है :–

क्रमांक	रिक्त आं.बा. केन्द्र/मिनी आं. बा. केन्द्र का नाम	ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय का नाम का नाम	ग्राम /वार्ड का नाम	पद का नाम एवं संख्या
1	2	3	4	5
1	भाथुडांड	नगर पंचायत पत्थलगांव	वार्ड क्रमांक – 15	कार्यकर्ता – 1 पद
2	धनीयापारा	पालीडीह	पालीडीह	कार्यकर्ता – 1 पद
3	ढोढ़ीटिकरा	नगर पंचायत पत्थलगांव	वार्ड क्रमांक – 12	सहायिका – 1 पद
4	उपरपारा (प्रेमनगर)	नगर पंचायत पत्थलगांव	वार्ड क्रमांक – 13	सहायिका – 1 पद
5	बड़ापारा	नगर पंचायत पत्थलगांव	वार्ड क्रमांक – 01	सहायिका – 1 पद
6	स्कूलपारा (बिलाईटांगर)	नगर पंचायत पत्थलगांव	वार्ड क्रमांक – 09	सहायिका – 1 पद
7	बनखेता	बालाझर	बालाझर	सहायिका – 1 पद
8	दर्रापारा	कुनकुरी	कुनकुरी	सहायिका – 1 पद
9	मांझीपारा मिनी	मुड़केला	मुड़ेकेला	मिनी आं.बा. कार्यकर्ता – 1 पद
10	पनिकापारा मिनी	सुसडेगा	सुसडेगा	मिनी आं.बा. कार्यकर्ता – 1 पद
11	पटेलपारा मिनी	किलकिला	किलकिला	मिनी आं.बा. कार्यकर्ता – 1 पद
12	भालूढोढ़हा मिनी	केराकछार	केराकछार	मिनी आं.बा. कार्यकर्ता – 1 पद
योगः– कार्यकर्ता 2 पद, सहायिका 6 पद एवं मिनी कार्यकर्ता 4 पद				

आवेदन किये जाने हेतु निम्नानुसार अर्हताएं है :–

1. आवेदिका की आयु 18 से 44 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। (एक वर्ष या अधिक सेवा का अनुभव रखने वाली कार्यकर्ता/सहायिका/सह–सहायिका/संगठिका को आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जावेगी। आयु की गणना आवेदन आमंत्रित जारी दिनांक से की जायेगी।
2. ओवदिका उसी ग्राम की स्थायी निवासी होना चाहिए जिस ग्राम में आंगनबाड़ी केन्द्र स्थित है। (शहरी क्षेत्रों में आवेदिका उसी वार्ड की निवासी होनी चाहिए)
3. **निवासी होने के प्रमाण में** 1. ग्राम की अद्यतन मतदाता सूची में दर्ज नाम एवं नगरीय क्षेत्र होने पर संबंधित वार्ड की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज हो तो आवेदन पत्र में उसके कमांक का उल्लेख कर प्रतिलिपि लगाई जावे अथवा 2. ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर तथा नगरीय निकायो में सम्बंधित वार्ड पाषर्द अथवा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें वार्ड एवं ग्राम में निवासरत रहने का पता सहित स्पस्ट उल्लेख हो मान्य किया जावेगा ।

टीप : यदि किसी आवेदक के निवास के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस आवेदक के निवास के सत्यापन हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र मान्य किया जावेगा।

4. यदि अनु.जाति/अजजा हो तो, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करने पर अतिरिक्त अंक देय होगा।

5. आवेदिका की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार होनी चाहिए :–

1. आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता/मिनी कार्यकर्त्ता पद हेतु	12वीं अथवा 11वीं बोर्ड उत्तीर्ण
2. आंगनबाड़ी सहायिका हेतु	8 वीं बोर्ड उत्तीर्ण

टीप : 1. उपरोक्तानुसार शहरी/ग्रामीण/आदिवासी परियोजना में कोई आवेदिका न मिलने पर कार्यकर्ता पद हेतु शैक्षणिक योग्यता शिथिल मानकर दसवीं बोर्ड एवं इसके उपरांत भी आवेदिका न मिलने पर आठवीं उत्तीर्ण रखी जावेगी। सहायिका पद में भी उपरोक्तानुसार शैक्षणिक योग्यता वाली आवेदन न मिलने पर शैक्षणिक योग्यता संबंधि प्रावधान शिथिल कर कम शैक्षणिक योग्यता के आवेदन पर भी विचार किया जावेगा।

2. उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रकिया में अत्यधिक विशिष्ट पिछड़ी जातियों (कमार, अबूझमाड़िया, पहाड़ी कोरवा, बैगा, बिरहोर) को अनुसूचित जनजाति वर्ग के अन्दर ही शामिल किया गया है। अतः इन विशिष्ट पिछड़ी जनजाति वर्ग की आवेदिकाओं हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सबंधि प्रावधान में छूट प्रदान करते हुए 12 वीं के स्थान पर 10 वीं उत्तीर्ण निर्धारित किया गया है।

6. आंगनबाडी सहायिका पद हेतु आठवीं में ग्रेड वाला अंक सूची होने की स्थिति में अंक अंकित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ताकि वरियता सूची तैयार किया जा सके।

7. अनुभवी कार्यकर्ता/ सहायिका/ सहा–सहायिका होने पर, गरीबी रेखा परिवार, अनुसूचित जाति जनजाति परिवार की महिला होने पर तथा विधवा/परित्यकता अथवा तलाकशुदा महिला होने पर अतिरिक्त अंक दिये जावेंगे।

8. विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करे ताकि अतिरिक्त अंक दिया जा सकें।

9. परित्यकता के संबंध में निम्न में से कोई एक प्रमाण पत्र मान्य होगा प्रमाण पत्र संलग्न किये जाने पर ही अतिरिक्त अंक देय होगा :–

(अ) संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव के संयुक्त/नगर पंचायत में वार्ड पार्षद एवं नगर निगम में महापौर या नगर निगम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र मान्य किया जावेगा।

(ब) न्यायालय द्वारा जारी तत्सबंधी आदेश।

1. तलाकशुदा महिला होने के संबंध में न्यायालयीन आदेश की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

2. यदि शासन से किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता/पेंशन प्राप्त की जा रही हो तो उसका प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

3. परित्यकता महिला के सम्बंध में दो वर्ष से अधिक की अवधि ही मान्य होगी।

10. अनूसुचित जाति/जनजाति विभाग द्वारा संचालित कन्या आश्रम में कक्षा पहली से कक्षा आठवीं तक अध्ययन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अतिरिक्त अंक देय होगा।

11. निर्धारित तिथि **09.07.2027 शाम 5.30** बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

12. समस्त दस्तावेज अभिप्रमाणित/स्व प्रमाणित किये जावेंगे अन्यथा मान्य नहीं किये जावेंगे।

13. छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास के निर्देशानुसार समाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना वर्ष 2011 की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिला होने पर (प्रभावशील सूची) जमा करने पर निर्धारित अंक प्रदान किया जावेगा। जिसमें राशन कार्ड के साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी का प्रमाण पत्र होने पर ही अतिरिक्त अंक की पात्रता होगी। इस प्रकार नगर पंचायत अंतर्गत गरीबी रेखा प्रमाण–पत्र (प्रभावशील सूची) हेतु राशन कार्ड के साथ मुख्य नगर पालिका अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा जारी प्रमाण–पत्र मान्य होंगे।

परिशिष्टि–तीन

आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता / मिनी कार्यकर्त्ता एवं सहायिका पद हेतु आवेदन पत्र

आवेदिका यहां स्वहस्ताक्षरित फोटो चस्पा करें।

प्रति,

परियोजना अधिकारी,
एकीकृत बाल विकास परियोजना पत्थलगांव
जिला–जशपुर छत्तीसगढ़

1 जिस केन्द्र के लिये आवेदन किया जा रहा है। आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम :..
ग्राम का नाम / वार्ड का नाम :..

2 ग्राम पंचायत / नगरीय निकाय का नाम :..
पद जिसके लिए आवेदन किया गया है। :..

3 आवेदिका का नाम ....
पिता / पति का नाम :..

4 जन्म तिथि : (अंको में) .... दिन .... माह .... वर्ष
:(शब्दों में) ....

5 जाति / वर्ग (सामान्य–1,अनुसूचित जाति–2 :जाति .... वर्ग ....
अजजा.–3,अन्य पिछड़ा वर्ग–4)(यदि अनु.जाति / जनजाति हो तो सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।)

6 विधवा होने पर पति का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करें। शहरी क्षेत्र हेतु सक्षम अधिकारी (नगर पंचायत अधिकारी) तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु सरपंच / पंचायत सचिव द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रसतुत करें

7 स्थानीय निवास संबंधी प्रमाण मतदाता सूची क्रमांक .... सूची में नाम ....
अन्य प्रमाण ....

टीपः– स्थानीय निवासी के संबंध में निम्नानुसार प्रमाण प्रस्तुत किये जा सकते है :–

1. उस ग्राम / नगरीय क्षेत्र की अद्यतन मतदाता सूची में नाम़ दर्ज हो तो प्रतिलिपि संलग्न करें। अथवा 2. नगरी निकाय में की जाने वाली नियुक्ति में वार्ड पार्षद / नगर पालिका अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें वार्ड में निवासरत संबंधित स्पष्ट वार्ड का उल्लेख हो। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र में ग्राम का स्पष्ट उल्लेख हो।

विशेष :– यदि किसी आवेदक के निवास के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है। तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा। यदि निवास प्रमाण पत्र हो तो संलग्न कर सकते है।

8 गरीबी रेखा संबंधी प्रमाण पत्र (प्रभावशील सूची) :कमांक .... गरीबी रेखा में दर्ज संबंध ....
:............ दर्ज नाम वाले से संबंध ....

9 स्थायी पता (वार्ड कमांक सहित) : ग्राम पंचायत / वार्ड कं0............................
ग्राम ....
पारा ....
टोला ....

10 शैक्षणिक योग्यता (स्वप्रमाणित प्रतिलिपि संलंग्न करें) :–

क्र.	परीक्षा / कक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड / शाला का नाम	प्राप्तांक		प्राप्त अंकों का प्रतिशत
				प्राप्तांक	पूर्णांक	

11 अनूसुचित जाति जनजाति विभाग द्वारा संचालित : शाला का नाम ....

कन्या आश्रम में कक्षा आठवीं तक अध्ययन का प्रमाण पत्र (स्वप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें) कक्षा .... वर्ष ....

12 कार्यकर्ता / सहायिका / सहसहायिका होने संबंधी पद जिस पर कार्य किया गया है :..

कार्य अनुभव का विवरण (मय प्रमाण पत्र) केन्द्र का नाम ....

परियोजना का नाम ....

कब से कब तक काम किया ....

13 अनुभव प्रमाण पत्र :..

:..

टीप पूर्व से कार्यरत अनुभवी कार्यकर्ता, सहायिका, सहसहायिका से आशय राज्य शासन की किसी योजना, परियोजना अन्तर्गत संचालित आंगनबाड़ी / बालबाड़ी / झूलाघर / अतिरिक्त पूरक पोषण आहार वितरण केन्द्र शहरी पूरक पोषण आहार वितरण केन्द्र / शिशु शिक्षा केन्द्र में कार्य करने के अनुभवी कार्यकर्ता / सहायिका से है। इस हेतु नियंत्रणकर्ता अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावे।

14 संलग्न किये गये सत्यापित / स्वप्रमाणित प्रमाण पत्रों की सूची :–

1. शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र।
2. स्थानीय निवासी होने संबंधी प्रमाण पत्र।
3. प्रभावशील गरीबी रेखा की सूची का प्रमाण पत्र।
4. अनुसूचित जाति / जनजाति का प्रमाण पत्र।
5. विधवा / परित्यक्ता / तलाकशुदा होने के संबंध में प्रमाण पत्र।
6. अनुसूचित जाति / जनजाति के कन्या आश्रम में पढ़े होने का प्रमाण पत्र।
7. पूर्व में कार्यरत अनुभवी कार्यकर्ता / सहायिका / सहसहायिका आदि होने का प्रमाण पत्र।
8. आधार कार्ड की छायांप्रति।

टीप :– आवेदिका ध्यान दें कि समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न करें। असत्य प्रमाण प्रस्तुत न किया जाना आवेदिका की जिम्मेदारी होगी।

आवेदिका के हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मैं प्रमाणित करती हूँ, कि इस आवेदन पत्र में प्रस्तुत समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य एवं सही है। कोई भी जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन निरस्त किया जाना है। एवं चयन के उपरान्त भी मेरी नियुक्ति निरस्त की जाती है। तो इस हेतु सहमति है।

दिनांक ....

स्थान ....

आवेदिका के हस्ताक्षर